1.

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सं0-01/2022

रजनी देवी..अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य..विपक्षीगण

15.12.2023

प्रारूप आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद, नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-18/2021 रजनी देवी बनाम बिहार सरकार वो0 में समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पारित आदेश जो उनके पत्रांक-735/विधि दिनांक 31.03.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है कि आलोक में इस स्तर पर प्रारंभ की गयी है।

2. वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला-गोपालगंज, प्रखंड-बरौली, ग्राम-पंचायत-कहला, रोस्टर बिन्दु-706 पर जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है।

3. उक्त चयन के विरूद्ध अभ्यर्थी रजनी देवी, पति-संतु यादव द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-18/2021 दायर किया गया। परंतु वाद के प्रक्रियाधीन रहने के दौरान ही उनके द्वारा माननीय उच्च के समक्ष C.W.J.C. No. 5786/2021, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 21.12.2021 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है;

" The learned counsel for the petitioner submits that he may be allowed to withdraw the present writ petitioner with liberty to file representation/revision before the concerned Divisional Commissioner. In case, he does so within a period of two weeks from today, the Divisional Commissioner shall take a decision thereon at the earliest in any case not later eight weeks, thereafter."

4. उक्त के आलोक में श्रीमती रजनी देवी द्वारा दिनांक 03.01.2022 को इस स्तर पर Supply Revision No. 01/22 दायर किया गया। उक्त वाद को दिनांक 11.02.2022 को सुनवाई के बिन्दु पर ग्रहण किया गया तथा निम्न न्यायालीय अभिलेख की मांग की गयी। इस क्रम में वाद की सुनवाई दिनांक 27.05.2022 को की गयी तथा वाद को आदेश पर रखा गया। उक्त वाद में दिनांक 28.06.2022 को आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य अंश निम्नलिखित;

"..........बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अपीलवाद दायर किए जाने का प्रावधान है, इसके अलावे प्रस्तुत मामलें में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपीलवाद में

Scanned with OKEN Scanner

कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद औचित्यहीन प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर बिना वाद के गुण-दोष की समीक्षा किए विभागीय निर्देशिका में निहित प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को प्राथमिकता के आधार पर लंबित विविध अपील सं0-18/2021 का निष्पादन कर फलाफल से अवगत कराने हेतु प्रेषित किया जाता है।'

5. इसी बीच श्रीमती रजनी देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष M.J.C. No. 2302/2022 (C.W.J.C. No. 5786/2021 से व्युत्पन्न) दायर किया गया जिसमें इस स्तर से कारण-पृच्छा (oath No. 49892/23.01.2023) दायर कराया गया है।

6. आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2022 के आलोक में समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा विविध अपील सं0-18/2021 में दिनांक 22.11.2022 को पारित आदेश में अंकित किया किया कि,

"........वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना जो ज्ञापांक, 3223 खाद्य, पटना दिनांक 21.07.2022 द्वारा संसूचित है, के कंडिका संख्या 2(iv) के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर करने का निदेश है। अतः विभागीय अधिसूचना संख्या जो ज्ञापांक 3223 खाद्य, पटना दिनांक 21.07.2022 द्वारा संसूचित है, के कंडिका 2(iv) में निहित प्रावधान के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।'

उक्त के आलोक में श्रीमती रजनी देवी, पति-संतु यादव द्वारा दिनांक 04.02.2023 को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष पुर्नविचार आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में दोनों पक्षों को सुनते हुए गुण-दोष के आधार पर समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक 28.02.2023 को आदेश पारित किया है, जिसमें रजनी देवी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए आदेश की प्रति इस स्तर पर उपलब्ध करायी गयी है।

7. नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-18/21 में दिनांक 28.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर आपूर्ति पुनरीक्षणवाद की सुनवाई प्रारंभ की गयी। सुनवाई के क्रम में श्रीमती रजनी देवी सुनवाई में अनुपस्थित रही है। इस क्रम में निबंधित डाक एवं जिला पदाधिकारी के माध्यम से तामिला कराए जाने के पश्चात भी श्रीमती रजनी देवी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित नही हुयी है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा आवेदिका के याचिका एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

Scanned with OKEN Scanner

8. आवेदिका रजनी देवी का कथन है कि वे ग्राम पंचायत-कहला के अन्तर्गत पिपरहिया ग्राम की निवासी है। उक्त ग्राम में एक पी0डी0एस0 दुकान पूर्व से था परंतु विक्रेता की मृत्यु हो जाने के कारण अब उस ग्राम में किसी पी0डी0एस0 दुकान का संचालन नहीं होता है। इस क्रम में उनका आगे कथन है कि विपक्षी सं0-05 श्री राकेश कुमार, ग्राम-कहला के निवासी है जहा पूर्व से दो या तीन पी0डी0एस0 दुकान संचालित है, जिसकी दूरी पिपरहिया गाँव से करीब 3 किलो मीटर था उससे अधिक है, इसके अलावे उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी राकेश कुमार अधिवक्ता है तथा उनके पिता श्री ललन प्रसाद न्यायमित्र के रूप में कार्यरत है।

आवेदिका द्वारा यह अंकित किया गया है कि उक्त बिन्दुओं पर उनके द्वारा आपत्ति भी दी गयी, परंतु उक्त पर विचार किए बिना आदेश पारित कर दिया गया है।

9. विपक्षी श्री राकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम पक्ष के आरोपों का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जिला-गोपालगंज, प्रखंड-बरौली, पंचायत-कहला रोस्टर बिन्दु 706 पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु कुल 15 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के आधार पर तथा दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात श्री राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद अंतिम वरीयता सूची में क्रम सं0-01 पर रहे है। जिसके आधार पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु उनके पक्ष में अनुशंसा की गयी है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि प्रथम पक्ष श्रीमती रजनी देवी संयुक्त परिवार की सदस्या है, जिसके देवर कन्वु यादव, पिता-गोरख यादव (बी0डी0सी0) पंचायत समिति सीट सं0-08, प्रखंड-बरौली से निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। श्रीमती रजनी देवी के पति श्री संतु यादव विदेश में नौकरी करते है तथा संतु यादव के चाचा के पास आटा-चक्की मशीन है जो बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत Disqualification की श्रेणी में आते है।

अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला स्तरीय चयन समिति एवं जिला समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा सभी बिन्दुओ पर समुचित विचार कर आदेश पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जा सकता है।

10. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि **"बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** में वर्णित प्रावधानों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खा0, दिनांक 08.03.2017, पत्रांक 1571/खा0, दिनांक 28.03.2017 एवं समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-963, दिनांक 20.01.2016 एवं परिपत्र सं0-2342, दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला-गोपालगंज अन्तर्गत गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल हेतु नई

Scanned with OKEN Scanner

पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष श्री रजनी देवी एवं विपक्षी श्री राकेश कुमार सहित कुल 15 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत आवेदनों एवं उक्त के संबंध में दावा-आत्ति निवारण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी जिसमें विपक्षी राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद क्र0 सं0-01 पर रहे है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि श्री राकेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र प्रथम पक्ष रजनी देवी से अधिक रही है। अतएव **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** में अंकित प्रावधान के आलोक में उनकी अनुशंसा की गयी है। इसके अलावे दावा-आपत्ति निवारण के क्रम में श्री राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पायी गयी है।

उक्त के आलोक में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि जिला स्तरीय चयन समिति एवं जिला समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा विविध अपील वाद सं0-18/21 में दिनांक 28.02.2023 को पारित आदेश को यथावत रखा जा सकता है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

उक्त के अवलोकनोपरांत वाद से संबंधित निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) अंतिम वरीयता सूची के क्र0सं0 01 पर अंकित श्री राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद की जन्म तिथि 01.06.1987, मैट्रिक प्राप्तांक प्रतिशत-54.85, उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (63.13%) तथा कम्प्यूटर योग्यता-D.C.A. है।

(ii) क्र0सं0-03 पर अंकित आवेदिका श्रीमती रजनी देवी की जन्म तिथि-15.02.1991, मैट्रिक का प्राप्तांक प्रतिशत-49.29, उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता स्नातक (51.63%) तथा कम्प्यूटर योग्यता- D.C.A. है।

(iii) अंतिम वरीयता सूची के कॉलम-17 में आवेदक या उनके निकट संबंधियों को आटा चक्की होने के बिन्दु पर नहीं अंकित किया गया है।

(iv) आपत्ति निष्पादन के क्रम में श्री राकेश कुमार, पिता-ललन प्रसाद के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं पायी गयी है।

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

Scanned with OKEN Scanner

(नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–11 के आलोक में किसी अभ्यर्थी के अधिवक्ता होने अथवा अभ्यर्थी के पिता के न्यायमित्र होने के आधार पर अभ्यर्थी के दावा को खारिज नहीं किया जा सकता है।

अंतिम वरीयता सूची के अवलोकन में विपक्षी श्री राकेश कुमार, पिता–ललन प्रसाद एवं आवेदिका श्रीमती रजनी देवी, पति–संतु यादव की कम्प्यूटर एवं शैक्षणिक योग्यता समान है। आवेदिका श्रीमती रजनी देवी की जन्मतिथि दिनांक 15.02.1991 एवं विपक्षी श्री राकेश कुमार की जन्मतिथि दिनांक 01.06.1987 अंकित है। ऐसी स्थिति में **बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9(v)** के आलोक में विपक्षी राकेश कुमार का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया जाना नियमानुकूल है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0–18/2021 में दिनांक 28.02.2023 को पारित आदेश को **बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानो के अनुकूल पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षणवाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner